सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 70 राँची, सोमवार, 28 जनवरी, 2019 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

3 दिसम्बर, 2018

संख्या-एल०जी०-25/2017-180/लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राष्ट्रपति दिनांक 31 मई, 2018 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2017

(झारखंड अधिनियम, 24, 2018)

कोर्ट-फीस अधिनियम, 1870 में संशोधन के लिए अधिनियम ।

प्रस्तावनाः-

वर्तमान में कोर्ट फी अधिनियम] 1870 के प्रावधानों के अन्तर्गत समस्त शुल्क स्टाम्प के माध्यम से संग्रहित किये जाते हैं। उन स्टाम्पों को छपाने में सरकार को भारी व्यय करना पड़ता है। स्टाम्प की अनुपलब्धता के कारण कभी-कभी जनता को असुविधा होती है। यदि

कोर्ट फी का भुगतान स्टाम्प के अतिरिक्त ई-भुगतान द्वारा किया जाए तो जनता को जाली स्टाम्प, स्टाम्प की अनुपलब्धता आदि समस्याओं से मुक्ति मिलेगी तथा सरकार को भी स्टाम्प छपाने का व्यय नहीं करना होगा।

भारत गणराज्य के अडसवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम] प्रसार एवं प्रारंभः-

(i) यह अधिनियम "कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम] 2017" कहा जा सकेगा।

(ii) इसका प्रसार सम्पूर्ण झारखण्ड में होगा।

(iii) यह उस तिथि को प्रवृत होगा जैसा कि राज्य सरकार] राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. मूल अधिनियम की धारा 25 निम्न रूप से प्रतिस्थापित की जाएगी।

25. सभी शुल्क का संग्रहण स्टाम्प या ई-भुगतान के द्वारा- "इस धारा के अन्तर्गत वर्णित शुल्क या इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित सभी शुल्क का संग्रहण स्टाम्प या ई-भुगतान द्वारा किया जा सकेगा।"

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

3 दिसम्बर, 2018

संख्या-एल०जी०-25/2017-181/लेज०-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 मई, 2018 को अनुमत कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, **2017** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद **348** के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

THE COURT FEES (JHARKHAND AMENDMENT) ACT, 2017

(JHARKHAND ACT, 24, 2018)

To Amend The Court Fees Act, 1870

Preface:-

Under the existing provision of Court Fee Act 1870, all fees chargeable under court fee act 1870 are collected by stamps. To make the stamps available the government has to get it printed incurring huge cost. Sometimes, the unavailability of a particular denomination of stamp causes inconvenience to the people. If a system of e-payment of court fee is developed, the people will get rid of the problem of unavailability of stamp and counterfeit stamps, black marketing of stamps. The government will also gain by saving the cost of printing of stamps.

Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the Sixty Eight Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title:-
   (i) This Act may be called, "The Court-Fees (Jharkhand Amendment) Act, 2017.
   (ii) It extends to the whole of the State of Jharkhand
   (iii) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Official Gazette appoint.
2. The section 25 of the Principal Act is substituted in the following manner:-
   "25, Collection of fees by stamps or by e-payment:-
   All fees referred to in section-3 or chargeable under this Act shall be collected by stamps or by e-payment."

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 70 -- 50